



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसवां के मुख्य भवन, चिकित्सा अधिकारी आवास, टाइप-2 एवं टाइप-1 आवासों की मरम्मत तथा चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-1/फ/नि0नि0अ0-14/2026-27/282, दिनांक 01.08.2026 एवं शासनादेश संख्या-आई0/1410/14/2026-5-6099/200/2026-6, दिनांक 28.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 28.07.2026 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु "विभागीय अभियंत्रण इकाई" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह ज्ञान की निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.08.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसवां के मुख्य भवन, चिकित्सा अधिकारी आवास, टाइप-2 एवं टाइप-1 आवासों की मरम्मत तथा चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि रुपये 86.90 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि रुपये 86.90 लाख (छियासी लाख नब्बे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	आच्छादित	कार्य का नाम	परीक्षित लागत
1	2	3	4
1	मा० विधायक, श्री निर्मल वर्मा, 149-बिसवां, सीतापुर	जनपद-सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसवां के मुख्य भवन की विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य।	25.56
2		जनपद-सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसवां के चिकित्सा अधिकारी आवास की विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य।	18.39
3		जनपद-सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसवां के टाइप-2 आवासों की विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य।	18.44
4		जनपद-सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसवां के टाइप-1 आवासों की विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य।	9.52
5		जनपद-सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसवां की चहारदीवारी का निर्माण कार्य।	14.99
		योग	86.90

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये आगत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
7. प्राविधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की दायित्व नहीं हो रही है।
9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
10. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
11. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित सीमा की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे।
12. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
13. आगणन में वर्णित लेखा तालिका की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी किश्त हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उक्त स्थिति से अवगत कराया जाय।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 86,90,000 (रुपये छियासी लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4210021030700 प्राथमिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सीतापुर।
4. निदेशक (प्रशासन/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उत्तर प्रदेश शासन।
11. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।